प्रकरण संख्या 13/2019 2019/00067 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री, तहसील व जिला करौली जरिये प्रधानाध्यापक – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 22/87 रकबा 0–10 बीघा ग्राम पाटोर शास्त्री तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 6–03 बीघा ग्राम पाटोर शास्त्री सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तलाई दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु इसमें से 0–10 बीघा नामांतरकरण संख्या 39 से जरिये आवंटन राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में गै.मु. स्कूल दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नं 22/87 रकबा 0–10 बीघा ग्राम पाटोर शास्त्री को गै.मु. तलाई दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 39 दिनांक 03.01.2004 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण प्रधानाध्यापक राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री के विरूद्ध गलत रूप से दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। आराजी खसरा नंबर 22/87 रकबा 10 विस्वा किस्म तलाई वाके ग्राम पाटोर शास्त्री बाबत् प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी प्रकरण झूठा तैयार कर पेश किया गया है। प्रार्थी प्रधानाध्यापक को उक्त भूमि वर्ष 2003 में ही आवंटित की जा चुकी है जिसके आवंटन आदेश की प्रति जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी करौली की अभिशंसा पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.12(3)(221)राजस्व/आवंटन/02/1011–1014 दिनांक 12.03.2003 के द्वारा आवंटित की गयी है जो प्रधानाध्यापक राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री को भवन निर्माण हेतु ग्राम पाटोर शास्त्री की भूमि खसरा नंबर 22/2 रकवा 5 बीघा 13 विस्वा किस्म गै.मु. तलाई में से 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया गया है और आवंटन के समय से ही उक्त भूमि पर विद्यालय का कब्जा है। प्रार्थी प्रधानाध्यापक राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री ग्राम पाटोर के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही गलत रूप से अमल में लायी गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 22/87 रकबा 0–10 बीघा ग्राम पाटोर शास्त्री सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. स्कूल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 39 दिनांक 03.01.2004 से किस्म गै.मु. स्कूल जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस

जिला

प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि उक्त प्रकरण आराजी खसरा नंबर 22/87 रकबा 10 विस्वा किस्म तलाई वाके ग्राम पाटोर शास्त्री बाबत् प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी प्रकरण झूठा तैयार कर पेश किया गया है। प्रार्थी प्रधानाध्यापक को उक्त भूमि वर्ष 2003 में ही आवंटित की जा चुकी है उपखण्ड अधिकारी करौली की अभिशंसा पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.12(3)(221)राजस्व/आवंटन/02/1011–1014 दिनांक 12.03.2003 के द्वारा आवंटित की गयी है जो प्रधानाध्यापक राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री को भवन निर्माण हेतु ग्राम पाटोर शास्त्री की भूमि खसरा नंबर 22/2 रकवा 5 बीघा 13 विस्वा किस्म गै.मु. तलाई में से 10 विस्वा भूमि का आवंटन किया गया है और आवंटन के समय से ही उक्त भूमि पर विद्यालय का कब्जा है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 6–03 बीघा ग्राम पाटोर शास्त्री गै0 मु0 तलाई दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 39 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 22/87 किस्म गै.मु. स्कूल रकबा 0–10 बीघा दिनांक 03.01.2004 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 22/87 किस्म गै.मु. स्कूल राजीव गांधी पाठशाला पाटोर शास्त्री के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 तलाई दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर नंबर 22/87 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटोर शास्त्री की आराजी खसरा नंबर 22/87 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली